basis of liquid fuels, a decision has been taken to permit the IIPs who have been given the linkage by Ministry of Petroleum and Natural Gas, to import Naphtha on their own subject to actual user condition and compliance with the procedure prescribed.

गुजरात में जाली और बेनामी पेट्रोल पम्पों पर मारे गए छापे

1958. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार और केन्द्र सरकार ने राज्य में बेनामी और जाली पेट्रोल पम्पों पर छापे मारे थे,

(ख) यदि हां, तो जिला-वार ऐसे कितने छापे मारे गए और कितने बेनामी और जाली पेट्रोल पम्पों का पता चला,

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अतंर्गत ऐसे पेट्रोल पम्पों के मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ड़) गुजरात सरकार नके नागरिक पूर्ति प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापों के दौरान देवड़ा चौकड़ी (जिला खेड़ा) में जय अंबे पेट्रोलियम के नाम और अभिनाम वाले एक अनधिकृत खुदरा बिक्री केन्द्र का पता लगाया गया, जिसे किसी भी तेल कंपनी द्वारा पेट्रोल और डीजल की पूर्ति नहीं की जा रही हैं । नागरिक पूर्ति प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध रोक लगा दी थी । ऐसे मामलों में कार्रवाई अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अतंर्गत जारी नियंत्रण आदेशों के अनुसार की जाती हैं ।

कच्चे तेल पर कराधान

1959. **श्री राम जेठमलानी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की उत्पादन लागत विश्व स्तर पर उत्पादन लागत की तुलना में कम हैं,

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं,

(ग) क्या यह भी सच हैं कि सरकार द्वारा देश में कच्चें तेल पर विभिन्न स्तरों पर कराधान किया हुआ हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले उद्योगों से कौन-कौन सा कर किस किस स्तर पर और कितनी-कितनी दर पर वसूल किया जाता हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां । ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन की औसत लागत वर्ष 1995 के दौरान प्रमुख अतंराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन की औसत वर्ष 1995 के दौरान प्रमुख अंतराष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों द्वारा अनुपालन की गई लेखविधि और लागत वर्गीकरण की परिपाटियों में भिन्नताओं के कारण यह तुलना पूर्णत : समान न हो ।

(ग)और (घ) कच्चे तेल का उत्पादन निम्नलिखित उद्ग्रहणों के अध्ययधीन हैं,

(i) अपतटीय और तटीय कच्चे तेल के उत्पादन पर रायल्टी क्रमश: केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को 578 रुपये मीट्रिक टन की दर से संदेय हैं ।

(ii) 900 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से कच्चे तेल पर उपकर केन्द्रीय सरकार को संदेय हैं ।

(iii) बीजक मूल्य पर 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर, जहां लागू हो, राज्य सरकार को संदेय हैं ।

(iv) आयकर अधिकनियम में निर्धारित दर से निगम कर कच्चे तेल की उत्पादनकर्ता कंपनियों द्वारा उनकी कर योग्य आय पर केन्द्रीय सरकार को संदेय हैं ।

तथापि निली क्षेत्र/संयुक्त उद्यम करारों के अतंर्गत कच्चे तेल के उत्पादन के लिए लागू उद्ग्रहरणों की दरें वे हैं जिनका प्रावधान संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों में किया गया हैं।